JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलग मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302015

दूरभाष 0141–5192134

दिनांक 28.02.2015

प्रेस नोट/रिलीज

मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर वाहन पार्किगं का ठेका भी आवंटित किया गया

मार्च 2015 से प्रस्तावित राजस्थान एवं जयपुर की पहली मेट्रो रेल सेवा जो चांदपोल से मानसरोवर रूट पर संचालित की जायेगी, इसके लिए मेट्रो रेल प्रशासन ने मेट्रो रेल यात्रियों के लिए सभी मेट्रो स्टेशनों यथा मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, विवेक विहार, श्याम नगर, रामनगर, सिविल लाईन्स, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप एवं चांदपोल से सटे कुल करीब ढाई लाख वर्गफीट (24000 वर्गमीटर) एरिया में निर्मित 12 वाहन पार्किगं प्लाटों का ठेका खुली निविदा प्रक्रिया के तहत एक वर्ष के लिए आवंटित कर दिया गया है।

जयपुर मेट्रो स्टेशनों पर प्रस्तावित पार्किगं एरिया एवं वाहन क्षमता का आंकलन निम्नानुसार हैः–

स्टेशन	प्रस्तावित पार्किगं एरिया (वर्गमीटर)		प्रस्तावित वाहन क्षमता			
	उत्तर दिशा	दक्षिण दिशा	साईकिल	स्कूटर	कार	कुल वाहन
मनसरोवर	3000	–	103	161	79	343
न्यू आतिश मार्केट	2500	5250	213	413	217	843
विवेक विहार	3800	1085	166	161	116	443
श्याम नगर	–	130	0	23	0	23
रामनगर	1950	2300	135	235	82	452
सिविल लाईंस	–	1035	38	64	20	122
रेलवे स्टेशन	1350	–	58	102	28	188
सिंधी कैंप	300	–	0	50	0	50
चांदपोल	1058	–	22	50	24	96
कुल	**13958**	**9800**	**735**	**1259**	**566**	**2560**
दर्शित एरिया सुपर एरिया है, जिसमें साईकिल के लिए 6, स्कूटर के लिए 24 एवं कार के लिए 90 ईसीयू रखा गया है।						

साईकिल कम दूरी की यात्रा के लिए प्रदूषण रहित, कम खर्च एवं जीवन शैली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन है। साईकिल चालन को बढावा देने के लिए मेट्रो रेलवे द्वारा पार्किगं एरिया में कुल वाहन क्षमता का करीब 30 प्रतिशत भाग साईकिलों के लिए इंगित किया है।

मेट्रो स्टेशनों पर वाहन पार्किगं ठेकों के लिए ठेकेदारों में बड़ा उत्साह था। इस निविदा प्रक्रिया में 12 ठेकेदारों ने भाग लिया एवं पार्किगं का ठेका अनुमानित लाईसेंस फीस से 162 प्रतिशत अधिक दर एवं कुल रूपये 47.80 लाख फीस पर एक वर्ष के लिए इसे दिल्ली मेट्रो में पार्किगं का कार्य कर रही अनुभवी फर्म ने उच्चतम दर पर प्राप्त किया।

जयपुर मेट्रो रेल ने जहां अपना किराया शहर में चल रहे सभी सार्वजनिक वाहनों से प्रति किलोमीटर यात्रा की तुलना में सबसे कम 5, 10 एवं अधिकतम 15 रूपये रखा है। इसी क्रम में अधिक से अधिक मेट्रो यात्री जो अपने निवास/कार्यालय से स्वयं के वाहनों से मेट्रो स्टेशनों पर इनकी पार्किगं कर यात्रा करना चाहते हैं, उनका 8 घंटे तक का पार्किगं शुल्क भी जयपुर मेट्रो रूट की परिधि में स्थित अन्य पार्किगं सेवा प्रदाताओं की दरों से अधिक नहीं रखा गया है एवं यह मेट्रो के यात्री किराये की सीमा में है।

वाहन (8 घंटे की पार्किंग)	जयपुर मेट्रो	जयपुर रेलवे जंक्शन	नगर निगम	जेडीए रामनिवास बाग	जनाना अस्पताल चांदपोल
साईकिल	2 रूपये	2 रूपये	3 रूपये	5 रूपये	3 रूपये
स्कूटर / मोटरसाईकिल / मोपेड	5 रूपये	10 रूपये	5 रूपये	28 रूपये	10 रूपये
कार / जीप / एलसीवी / एसयूवी	15 रूपये	50 रूपये	15 रूपये	50 रूपये	20 रूपये

जयपुर मेट्रो का संचालन सामान्यतया सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक 16 घंटे तक रहेगा। अतः 16 घंटे से अधिक समय तक पार्किंग में वाहन रखने पर ज्यादा दरें रखी गई है, क्योंकि ऐसे बहुत कम वाहनों के लिए भी चौबीसों घंटे पार्किंग संचालन कर्मी रखने पड़ेगें। मेट्रो पार्किंग की स्वीकृत दरें निम्नानुसार हैः–

वाहन	8 घंटे तक	8–16 घंटे	16–24 घंटे	मासिक
साईकिल	2 रूपये	3 रूपये	5 रूपये	60 रूपये
स्कूटर / मोटर साईकिल / मोपेड	5 रूपये	10 रूपये	20 रूपये	150 रूपये
कार / जीप / एलसीवी / एसयूवी	15 रूपये	30 रूपये	60 रूपये	450 रूपये
हैलमेट दर	2 रूपये	2 रूपये	2 रूपये	–

प्रत्येक पार्किगं प्लॉट पर चौबीसों घंटे कम से कम एक स्टाफ (बड़े पार्किगं प्लाटों पर एक से अधिक स्टाफ) लगाया जायेगा। सभी पार्किगं कर्मी पुलिस प्रमाणीकरण के उपरान्त, पहचान पत्र एवं निर्धारित वर्दी के साथ उपलब्ध रहेगें।

पार्किगं प्लाटों पर आपातकालीन टेलीफोन नं. यथा पुलिस स्टेशन, अस्पताल, एम्बूलेंस एवं फायर स्टेशन आदि का नम्बर भी डिस्प्ले करने का प्रावधान है। पार्किगं प्लाटों की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाना भी प्रस्तावित है।

पार्किगं स्लीप कम्प्यूटराईजड़ कूपन से जारी होगी। जिसमें ठेकेदार का नाम, पार्किगं स्थल, दिनांक व समय, आदि दर्शित होगी। अपरिहार्य स्थिति में सम्बन्धित स्टेशन नियंत्रक की अनुमति से प्रिन्टेड कूपन / टिकट भी दिये जा सकते हैं।

अनुमोदित वाहन के अलावा अन्य कोई वाहन यथा ट्रक, लोडिगं टेम्पो, टैक्सी, जेसीबी आदि की पार्किगं स्वीकार्य नहीं होगी। यदि 48 घंटे से अधिक अनाधिकृत वाहन पार्किगं में रहता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जायेगी।

वाहन की पार्किगं स्लीप खोने पर दावाकर्ता को वाहन आर.सी. की प्रति, वाहन चालक लाईसेंस एवं घर के पते के प्रूफ की प्रति एवं मोबाईल / फोन नं. तथा 20 / – रूपये की पेनल्टी के साथ वाहन लौटाया जा सकेगा।

जयपुर मेट्रो पार्किगं स्थलों को एक नई पहचान देने के लिए इस पार्किगं ठेका कार्य में किसी भी तरह की कमी यथा अधिक रेट चार्ज करना, निर्धारित यूनिफार्म / पहचान पत्र / पार्किगं स्लीप की अनुपलब्धता, वाणिज्यिक वाहनों को ठहराव / गैर कानूनी कार्य / मदिरा आदि का सेवन / दुर्व्यवहार / अनुपयुक्त हाउसकीपिगं / वाहनों को सही तरह से नहीं रखने आदि कमियों पर, प्रत्येक प्रकरण में ठेकेदार पर पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है।

वाहनों के पार्किगं स्थल में किसी भी नुकसान / चोरी होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान होने तक, ठेकेदार पर प्रत्येक प्रकरण में पेनल्टी के अलावा दावे के निस्तारण तक उसकी सुरक्षा राशि को लौटाने से भी रोका जा सकता है।

सी.एस. जीनगर
निदेशक (परिचालन एवं प्रणाली)